न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – रंजना, आर.जे.एस.

फौजदारी नंबरी प्रकरण संख्या – 166/2016
एफआईआर संख्याः – 200/2016, पुलिस थाना उदयपुरवाटी
अन्तर्गत धारा 279, 337, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता

सरकार बनाम खेताराम

सी.आई.एस. नंबर – Cr. Reg. Case/179/2026

CNR No. RJJH130015412016

निर्णय दिनांक – 17 जुलाई, 2026

भाग–प्रथम

A

परिवादी	सुरेश कुमार पुत्र गणपत, निवासी ग्राम दुडिया, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं (राज०)
प्रस्तुतकर्ता	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	खेताराम पुत्र कालूराम, आयु 50 वर्ष, निवासी देवीपुरा बणी, थाना उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री आनन्द सिंह शेखावत

B

अपराध की दिनांक	10.06.2016
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	14.06.2016
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	14.07.2016
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	12.04.2017
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	01.12.2021
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	–
निर्णय दिनांक	17.07.2026
दण्डादेश की दिनांक	–

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा-428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	**खेताराम**	17.06.16	17.06.16	279, 304A IPC	साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त	––	–
				337 IPC	बरूए राजीनामा दोषमुक्त		

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
गवाह संख्या	नाम गवाह	विवरण
पी.डब्ल्यू 1	सुरेश कुमार	ताईद एफआईआर, पुलिस बयान, नक्शा मौका, रसीद सुपुर्दगी लाश, फर्द पंचायतनामा
पी.डब्ल्यू 2	प्रताप	पुलिस बयान, फर्द जब्ती ट्रेक्टर, फर्द जब्ती कागजात
पी.डब्ल्यु. 3	प्रमोद	पुलिस बयान, नक्शा मौका
पी.डब्ल्यु. 4	महेन्द्र	फर्द पंचायतनामा
पी.डब्ल्यु. 5	सुरेश कुमार	फर्द पंचायतनामा
पी.डब्ल्यु. 6	मनोहर सिंह	पुलिस बयान, फर्द जब्ती ट्रेक्टर, फर्द जब्ती कागजात
पी.डब्ल्यु. 7	धर्मेन्द्र	नक्शा मौका
पी.डब्ल्यु. 7	राकेश कुमार	फर्द पंचायतनामा
पी.डब्ल्यु. 8	मुकेश कुमार	फर्द पंचायतनामा

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
	--	

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 1	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी 2	चाक एफआईआर
03	प्रदर्श पी 3	नक्शा व हालात मौका
04	प्रदर्श पी 4	पुलिस बयान सुरेश कुमार
05	प्रदर्श पी 5	फर्द पंचायतनामा
06	प्रदर्श पी 6	रसीद सुपुर्दगी मृतक की लाश
07	प्रदर्श पी 7	पुलिस बयान प्रताप
08	प्रदर्श पी 8	फर्द जब्ती ट्रेक्टर मेसी
09	प्रदर्श पी 9	फर्द जब्ती कागजात ट्रेक्टर
10	प्रदर्श पी 10	पुलिस बयान महेन्द्र सिंह

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
–	–	–

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	--	

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	--	--

निर्णय **दिनांक : 17.07.2026**

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी सुरेश कुमार ने दिनांक 14.06.2016 को पुलिस थाना उदयपुरवाटी के समक्ष एक टाईपुशदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसका पुत्र राहुल अपने ननिहाल देवीपुरा बणी गया हुआ था जो दिनांक 10.06.2016 को करीब सुबह 10 बजे देवीपुरा बणी बस स्टेण्ड के पास गोली मूंगफली की रेहड़ी पर खड़ा था तथा उसके साथ में प्रमोद कुमार पुत्र नत्थूराम निवासी गांव देवीपुरा बणी भी खड़ा था तो अचानक तेज गति से गोल्याणा की तरफ से एक ट्रेक्टर नम्बर आरजे 18 आर०बी० 4771 आया। उक्त ट्रेक्टर ड्राईवर ने ट्रेक्टर को लापरवाही एवं तेज गति से चलाकर उसके पुत्र व प्रमोद कुमार को टक्कर मार दी। उक्त ट्रेक्टर की टक्कर से उसके पुत्र व प्रमोद कुमार के गम्भीर चोटें आई। एक्सीडेन्ट होने के बाद तुरन्त उदयपुरवाटी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उदयपुरवाटी में इलाज के लिये लाया गया जहां दोनों की स्थिति काफी गम्भीर होने के कारण सीकर रेफर कर दिया था जहां पर उसका पुत्र राहुल दिनांक 13.06.2016 को खत्म हो गया तथा प्रमोद का इलाज चल रहा है। उसके पुत्र की व प्रमोद कुमार की हालत गम्भीर होने के कारण उनके इलाज के लिये वह जयपुर चला गया इत्यादि पर प्रकरण संख्या 200/2016 धारा 279, 337, 304 ए भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337, 304 ए भा.द.सं. में आरोप पत्र पेश किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण फौजदारी नियमित में दर्ज करने का आदेश दिया गया।

2– बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 279, 337, 304 ए भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों का आरोप सारांश पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया जिसे सुन समझकर अभियुक्त ने जुर्म से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाए गए एवं पृष्ठ संख्या 3 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

4– यहां यह उल्लेख किया जाना न्यायोचित है कि दौराने विचारण दिनांक 01.12.2021 को आहत प्रमोद कुमार ने अभियुक्त खेताराम के पक्ष में धारा 337 भा.द.सं. में राजीनामा पेश किया गया जो राजीनामा की पुश्त पर पृथक से तस्दीक किया गया व अभियुक्त को धारा 337 भारतीय दंड संहिता के तहत जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया गया। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप शेष है।

5– अभियुक्त के बयान मुलजिम धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लेखबद्ध किये गये जिसमें अभियुक्त ने गवाह की साक्ष्य को गलत बतलाया तथा स्वयं को निर्दोष होना, आपस में राजीनामा होना बतलाया। साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं करनी चाही।

6– बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरित विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया है कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। अभियुक्त के विरूद्ध शेष आरोप को साबित करने बाबत कोई सारभूत साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

7– चूंकि पत्रावली में पक्षकारों के मध्य धारा 337 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा तस्दीक हो चुका है। अतः न्यायालय को अब केवल शेष आरोप धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता बाबत ही साक्ष्य को देखा जाना है। अतः न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि –

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.06.2016 को समय सुबह 10.00 ए.एम. पर या उसके लगभग मौजा आम रोड़ गोल्याणा चौराहे से नवलगढ़ आने जाने वाले रोड़ पर पानी की प्याऊ के व बड़ के पेड़ के पास वाहन ट्रेक्टर नम्बर आरजे 18 आरबी 4771 को तेज गति, लापरवाही व उपेक्षापूर्वक चलाकर परिवादी के पुत्र राहुल तथा प्रमोद कुमार जो देवीपुरा बणी बस स्टेण्ड के पास गोली मूंगफली की रेहड़ पर खड़े थे के टक्कर मारकर उनके मानव जीवन को संकटापित किया तथा उक्त टक्कर के परिणामस्वरूप परिवादी के पुत्र राहुल के शरीर पर गम्भीर चोटों के कारण दौराने इलाज दिनांक 13.06.2016 को उसकी मृत्यु हो गई?

(2) यदि हाँ, तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या होगा?

8– उक्त विचारणीय बिन्दु को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से 09 गवाहान को न्यायालय में पेश कर परीक्षित कराया है। उक्त विचारणीय बिन्दु को अभियोजन को संदेह से परे साबित करना था। हस्तगत प्रकरण परिवादी सुरेश कुमार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 पर संस्थित किया गया है। सर्वप्रथम उक्त गवाह की साक्ष्य का विवेचन करें तो गवाह सुरेश कुमार ने न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू.01 के रूप में परीक्षित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वर्ष 2016 में उसका लड़का राहुल अपने ननीहाल देवीपुरा बड़ी गया हुआ था जहां उसका एक्सीडेन्ट हो गया था। एक्सीडेन्ट किस वाहन से हुआ, किसकी तेजी व लापरवाही से हुआ वह मौके पर नहीं था। उसके तो रिपोर्ट पर केवल हस्ताक्षर करवाये थे। रिपोर्ट में क्या लिखा था उसे ध्यान में नहीं है। इस गवाह को अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस गवाह ने अभियोजन अधिकारी से हुई जिरह में कथन किया कि यह सही है कि उसने

घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 उदयपुरवाटी थाने में पेश की जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने कथन किया कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 का हिस्सा सी से डी उसने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखवाया। यह सही है कि चाक रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 पर पुलिस वालों ने उसके हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस ने उसके सामने मौका नहीं देखा। पुलिस ने उसके हस्ताक्षर थाने में करवाये थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 पर ए से बी हस्ताक्षर उसके हैं। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 4 का हिस्सा ए से बी बताने से इन्कार किया है। गवाह ने कथन किया कि उसे पता नहीं कि पुलिस वालों ने पंचायतनामा नया था या नहीं। प्रदर्श पी 5 पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किया है। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि दिनांक 10.06.2016 को ट्रेक्टर नम्बर आरजे 18 आरबी 4771 के चालक खेताराम ने राहुल व प्रमोद के टक्कर मारी हो एवं राहुल के इस दुर्घटना में लगी चोटों के कारण ही खत्म हुआ हो। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि खेताराम से राजीनामा होने के कारण झुठे बयान दे रहा हो।

9– इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि टाईपशुदा रिपोर्ट पर बिना पढे सुने उसने हस्ताक्षर किये थे। उसे फोन पर दुर्घटना की सूचना मिली थी। उसके बाद वह सीधा अस्पताल गया था। प्रदर्श पी 3 लगायत प्रदर्श पी 6 को गवाह ने देखकर कहा कि उसने खाली काजों पर अस्पताल में हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने किस बात के हस्ताक्षर करवाये उसे नहीं पता। वह खेताराम को नहीं जानता। उसने जो बातें सुनी वहीं बतो बताई। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि वह राजीनामा हो जाने के काण झुठे बयान दे रहा हो।

10– पी०डब्ल्यु० 3 प्रमोद इस प्रकरण का आहत है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि वह व उसका भानजा राहुल देवीपुरा बस स्टेण्ड पर खड़े थे

तब एक गाड़ी आई और उनके टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाली गाड़ी कौनसी थी, उसके क्या नम्बर थे, उसको कौन चला रहा था उसने नहीं देखा। इस गवाह को भी अभियोजन पक्ष ने पक्षद्रोही घोषित किया है। अभियोजन अधिकारी से हुई जिरह में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 10 का हिस्सा ए से बी बताने से इन्कार किया है। गवाह ने स्वयं के सामने मौका देखने के तथ्य से इन्कार किया है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 पर सी से डी हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि खेताराम ने ट्रेक्टर नम्बर आरजे 18 आरबी 4771 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर उसके व राहुल के टक्कर मारी हो। गवाह ने खेताराम से राजीनामा होने के तथ्य को स्वीकार किया है।

11– इस गवाह से विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त से हुई जिरह में प्रदर्श पी 10 बयान पुलिस को देने से इन्कार किया। इसके व राहुल के वाहन द्वारा टक्कर मारने के तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट की है। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि खेताराम से राजीनामा हो जाने के कारण झुठे बयान दे रहा हो।

12– पी०डब्ल्यु० 2 प्रताप ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब पांच साल पहले देवीपुरा बस स्टेण्ड पर उसके सामने कोई दुर्घटना नहीं हुई। उसने खेताराम को ट्रेक्टर नम्बर आरजे 18 आरबी 4771 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर राहुल व प्रमोद के टक्कर मारते नहीं देखा। इस गवाह को अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन अधिकारी से हुई जिरह में गवाह ने प्रदर्श पी 7 पुलिस बयान का हिस्सा ए से बी बताने से इन्कार किया। गवाह ने प्रदर्श पी 8 फर्द जब्ती ट्रेक्टर एवं प्रदर्श पी 9 फर्द जब्ती कागजात पर स्वयं का अंगुठा निशानी होना स्वीकार किया है किन्तु ट्रेक्टर व कागजात स्वयं के सामने जब्त करने के तथ्य से

इन्कार किया है। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि खेताराम ने ट्रेक्टर नम्बर आरजे 18 आरबी 4771 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर प्रमोद व राहुल के टक्कर मारी हो।

13– इस गवाह ने जिरह में खेताराम के ट्रेक्टर से दुर्घटना होने के तथ्य से इन्कार किया है। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि राजीनामा हो जाने के कारण झुठे बयान दे रहा हो। गवाह ने प्रदर्श पी 7 पुलिस को बताने से इन्कार किया है।

14– पी०डब्ल्यु० 6 मनोहर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना कब की है तारीख उसे याद नहीं है। उसे घटना का पता नहीं है। किसका एक्सीडेन्ट हुआ था इसकी जानकारी नहीं है। उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे। इस गवाह को अभियोजन अधिकारी ने पक्षद्रोही घोषित किया है। अभियोजन अधिकारी से हुई जिरह में गवाह ने फर्द जब्ती ट्रेक्टर प्रदर्श पी 8 व फर्द जब्ती कागजात प्रदर्श पी 9 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है किन्तु इस सुझाव को गलत बताया कि पुलिस बयान प्रदर्श पी 10 का भाग ए से बी उसने पुलिस को दिया हो।

15– इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त से हुई जिरह में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 8 व प्रदर्श पी 9 पर खाली कागजों पर उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 10 का हिस्सा ए से बी पुलिस को बताने के सुझाव से इन्कार किया है।

16– पी०डब्ल्यु० 4 महेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि पांच साल पहले पुलिस ने उसके सामने राहुल की लाश का पंचायतनामा प्रदर्श पी 5 तैयार किया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर करवाये थे। अधिवक्ता अभियुक्त से हुई जिरह में स्वीकार किया कि पुलिस ने उसे लाश भी नहीं दिखाई थी।

17– पी०डब्ल्यु० 5 सुरेश कुमार, पी०डब्ल्यु० 7 राकेश कुमार, पी०डब्ल्यु० 8 मुकेश कुमार फर्द पंचायतनामा लाश के मौतबिर गवाहान हैं जिन्होंने स्वयं के सामने राहुल की लाश का पंचायतनामा बनाने से इन्कार किया है एवं अभियोजन अधिकारी द्वारा इनको पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

18– पी०डब्ल्यु० 7 धर्मेन्द्र नक्शा मौका का मौतबिर गवाह है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना कब की है तारीख उसे याद नहीं है। नक्शा मौका कहां बनाया व किसने बनाया उसे जानकारी नहीं है। इस गवाह को भी अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

19– उपरोक्तानुसार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रकरण में अहम गवाह स्वयं परिवादी पी०डब्ल्यु० 1 सुरेश कुमार है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में एक्सीडेन्ट किस वाहन से हुआ किसकी तेजी व लापरवाही से हुआ यह तथ्य स्वयं का मौके पर नहीं होने के कारण बताने में अनभिज्ञता प्रकट करता है। गवाह पक्षद्रोही हुआ है एवं खेताराम के साथ राजीनामा होने के तथ्य को स्वीकार किया है। इस प्रकार इस गवाह ने घटना की लेसमात्र भी पुष्टि नहीं की है। इसी प्रकार वक्त घटना मजरूब प्रमोद का होना प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 से प्रकट होता है किन्तु यह गवाह जो पी०डब्ल्यु० 3 के रूप में परीक्षित हुआ है इसने टक्कर मारने वाली गाड़ी कौन सी थी उसके क्या नम्बर थे उसको कौन चला रहा था स्वयं द्वारा देखने के तथ्य से इन्कार किया है। यह गवाह भी पक्षद्रोही हुआ है एवं अभियोजन अधिकारी से हुई जिरह में पुलिस बयान प्रदर्श पी 10 का हिस्सा ए से बी बताने से इन्कार किया है। इस गवाह ने भी मुलजिम से राजीनामा होने के तथ्य को स्वीकार किया है एवं इस गवाह ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार

पी०डब्ल्यु० 2 प्रताप ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्वयं के सामने कोई दुर्घटना होने के तथ्य से इन्कार किया है। साथ ही गवाह ने खेताराम को ट्रेक्टर नम्बर आरजे 18 आरबी 4771 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर राहुल व प्रमोद के टक्कर मारते देखने के तथ्य से इन्कार किया है। यह गवाह भी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस गवाह ने अभियोजन अधिकारी से हुई जिरह में पुलिस बयान प्रदर्श पी 7 का हिस्सा ए से बी बताने से इन्कार किया है। गवाह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया जिससे प्रकट हो कि खेताराम ने वाहन ट्रेक्टर को तेज गति व लापरवाही से चलाकर प्रमोद व राहुल के टक्कर मारी हो। गवाह ने खेताराम से राजीनामा होने के तथ्य को स्वीकार किया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई मदद मिलना नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार पी०डब्ल्यु० 6 मनोहर सिंह भी पक्षद्रोही हुआ है एवं इसने भी घटना के सम्बन्ध में अनभिज्ञता प्रकट की है एवं एक्सीडेन्ट किसका हुआ इस तथ्य से भी अनभिज्ञता प्रकट की है। इस प्रकार यह गवाह भी पक्षद्रोही हुआ है। इसने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है। गवाह पी०डब्ल्यु० 4 महेन्द्र मृतक राहुल की लाश का पंचायतनामा का मौतबिर गवाह है जो मात्र औपचारिक प्रकृति का गवाह है। साथ ही फर्द पंचायतनामा लाश के अन्य मौतबिर पी०डब्ल्यु० 5 सुरेश कुमार, पी०डब्ल्यु० 7 राकेश कुमार एवं पी०डब्ल्यु० 8 मुकेश कुमार फर्द पंचायतनामा के मौतबिर गवाहान हैं जिन्होंने पंचायतनामा लाश की फर्द स्वयं के सामने बनाने के तथ्य से इन्कार किया है एवं ये पक्षद्रोही रहे हैं जिनकी साक्ष्य से अभियोजन पक्ष को कोई मदद मिलना नहीं पाया जाता है। गवाह पी०डब्ल्यु० 7 धर्मेन्द्र भी नक्शा मौका का मौतिबर गवाह है जो पक्षद्रोही हुआ है जिसकी साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई मदद मिलना नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्षी को पेश

कर परीक्षित नहीं करवाया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के सम्बन्ध में लेस मात्र भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आई है।

20– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध यह तथ्य साक्ष्य अभाव में साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 10.06.2016 को समय सुबह 10.00 ए.एम. पर या उसके लगभग मौजा आम रोड़ गोल्याणा चौराहे से नवलगढ़ आने जाने वाले रोड़ पर पानी की प्याऊ के व बड़ के पेड़ के पास वाहन ट्रेक्टर नम्बर आरजे 18 आरबी 4771 को तेज गति, लापरवाही व उपेक्षापूर्वक चलाकर परिवादी के पुत्र राहुल तथा प्रमोद कुमार जो देवीपुरा बणी बस स्टेण्ड के पास गोली मूंगफली की रेहड़ पर खड़े थे के टक्कर मारकर उनके मानव जीवन को संकटापित किया तथा उक्त टक्कर के परिणामस्वरूप परिवादी के पुत्र राहुल के शरीर पर गम्भीर चोटों के कारण दौराने इलाज दिनांक 13.06.2016 को उसकी मृत्यु हो गई। अतः अभियुक्त को धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

––आदेश––

21– परिणामतः अभियुक्त खेताराम पुत्र कालूराम, आयु 50 वर्ष, निवासी देवीपुरा बणी, थाना उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त को धारा 337 भारतीय दंड संहिता के अपराध में पूर्व में बरूये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

22– अभियुक्त धारा **437A** दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दस–दस हजार रूपये के मुचलके प्रस्तुत करे कि इस प्रकरण में अपील/निगरानी होने की सूरत में वह स्वयं अपीलीय/निगरानी न्यायालय में उपस्थित हो जायेगा।

(रंजना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झुन्झुनूं

23– निर्णय आज दिनांक **17–07–2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया ।

(रंजना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झुन्झुनू